निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–17/21
दायरा दिनांक :–29.01.2021
निर्णय दिनांक :– 26.5.22

उनवान

1. अनिता बाई पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तहसील व जिला बारां।
2. प्रमिला बाई पत्नी श्री नवल गौतम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तहसील व जिला बारां।
3. माया पत्नी श्री लोकेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तहसील व जिला बारां।
4. राधा बाई पत्नी हरिश प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र श्री तेजमल जाति महाजन निवासी मकान नं 2 घ 3 विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा।
2. राधेश्याम पुत्र श्री जगन्नाथ जाति महाजन निवासी बामली तहसील बारां हाल 56 महावीर नगर द्वितीय कोटा जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन विभाग बारां ।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26.5.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री मदन मोहन नागर एड0– वादी
2 श्री घनश्याम गर्ग एड0 – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बामली पटवार हल्का बामला तहसील बारां में आराजी ख0 [illegible] 25 रकबा 4.39 है0 कुल 1 किता रकबा 4.39 है0 स्थित है। जो पूर्व में प्रतिवादी क्रमांक [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

तिवादी कमांक 2 द्वारा जरिये विक्रय पत्र वादीगण व प्रतिवादी कमांक 1 को बेचान किया गया था। जिसे विवादित आराजी के नाम से वर्णित किया गया है।

प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा अपने खातेदारी में दर्ज भूमि ख0नं0 25 की रकबा 4.39 है0 वाके ग्राम बामली तहसील व जिला बारां में से 1.76 है0 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2010 को वादीगण को किया जाकर वादीगण को मोके पर 1.76 है0 दक्षिणी भूमि पर कब्जा एवं दखल दिया गया था तब से वादीगण ख0नं0 25 की रकबा 1.76 है0 दक्षिणी भूमि पर काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान मे भी दक्षिणी भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा आराजी ख0नं0 25 की शेष रहा का रकबा 1.28 है0 उतरी भूमि व 1.35 है0 मध्य भूमि को जरिये विक्रय पत्र से प्रतिवादी कमांक 1 को बेचान कर मोके पर प्रतिवादी कमांक 1 को कब्जा एवं दखल दिया था। तब से वादीगण दक्षिणी भूमि पर व प्रतिवादी कमांक 1 उतरी ओर जमीन पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में भी इसी प्रकार से काबिज काश्त है।

उक्त आराजियात के नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण द्वारा खरीद की गयी भूमि ख नं0 25 का रकबा 1.76 है0 उतरी भूमि पर वादीगण का नाम प्रथक से नया ख0नं0 633/25 रकबा 1.76 है0 कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर किया गया है तथा ख0नं0 25 का रकबा 1.28 है0 भूमि का नया नम्बर 649/25 रकबा 1.28 है0 दक्षिणी भूमि पर प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज किया गया है जबकि मोके पर रकबा 1.76 है0 भूमि दक्षिणी पर वादीगण व प्रतिवादी कमांक 1 रकबा 2.63 है0 उतरी आराजी पर काबिज काश्त है। इसलिये वादीगण जरिये विक्रय पत्र खरीद की गयी भूमि रकबा 1.76 है0 दक्षिणी भूमि कब्जा काश्त अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा पाने के वेधानिक अधिकारी एवं नालिशी है।

वादीगण उक्त वर्णित विवादित आराजी रकबा 1.76 है0 दक्षिणी भूमि पर बहैसियत मालिक खातेदार की हैसियत से लगातार 10–11 वर्षो से काबिज काश्त करती चली आ रही है। उन्हें दक्षिणी आराजी रकबा 1.76 है0 खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है क्योकि वर्तमान में वादीगण ने उक्त आराजियात में सरसो बोयी हुयी है जो वादीगण की देखरेख में परवरिश हो रही है इसलिये वादीगण ख0नं0 25 की 1.76 है0 दक्षिणी भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज करा पाने की वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। तथा अपने अधिकारों की घोषणा कराने हेतु कानूनन हकदार है एवं इस हेतु नालिसी है।

उक्त वादीगण के कब्जेकाश्त की करीबन 0.64 है0 भूमि परवन वृहद सिंचाई योजना की दांयी नहर हेतु उक्त भूमि भूमि [illegible] अधिकारी जल संसाधन विभाग बारां प्रतिवादी कमांक 4 द्वारा अधिग्रहण [illegible] उसका मुआवजा राशि वितरण करने हेतु व प्रतिवादी कमांक 1 को कार्यालय द्वारा दिनांक 02.09.2020 को नोटिस जारी किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:07 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

जबकि उक्त दक्षिणी आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में है जिस पर वादीगण की फसल खड़ी हुयी है।

उक्त नोटिस प्राप्ति के उपरान्त प्रतिवादीगण कमांक 1 के मन में बदनियती आ गयी है तथा तथ्यो को छिपाकर उक्त मुआवजा राशि को प्राप्त करना चाहते है जब कि कानूनन उसका उक्त ख0नं0 25 दक्षिणी आराजी जिसका नया नं0 649/25 है का मुआवजा प्राप्त करने का प्रतिवादी कमांक 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं उक्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा व काश्त नहीं है। केवल वादीगण ही अधिग्रहण की गयी आराजी का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण की और से जवाब दावा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने वाद पक्ष के समर्थन में नकल विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2010, नकल जमाबन्दी ग्राम बामली सम्वत 2070–73 खाता सं0 258, नकल जमाबन्दी ग्राम बामली सम्वत 2070–73 खाता सं0 2, नकल जमाबन्दी ग्राम बामली सम्वत 2070–73 खाता सं0 159, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी ग्राम बामली सम्वत 2066–69 पेश की गई।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख0नं0 633/25 रकबा 1.76 है0 उतरी दिशा के स्थान पर दक्षिणी दिश ामें दिया जाना स्वीकार है प्रतिवादी कम 1 की आराजी खं0नं0 649/25 रकबा 1.28 है0 दक्षिणी दिशा के स्थान पर उतरी दिशा में दिया जाना स्वीकार है। वादीगण के वर्तमान कब्जे के मुताबिक नक्शे में दिशा परिवर्तन किया जाना भी दोनो पक्षो को स्वीकार है। रकबा दोनो पक्षो का मुताबिक राजस्व रिकार्ड खाता जमाबन्दी विधिवत रहेगा। पक्षकारान द्वारा मुताबिक राजीनामा दावा डिकी करने का निवेदन किया है।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं वादपत्र व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तु विकय पत्र दिनांक 22.03.2010 के अनुसार प्रतिवादी राधेश्याम द्वारा वादीगण को ख0नं0 25 रकबा 4.39 है0 में से 1.76 है0 भूमि का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किया जाना पाया जाता है।, नकल जमाबन्दी ग्राम बामली सम्वत 2070–73 खाता सं0 258 अमित कुमार पुत्र तेजमल महाजन का नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम बामली सम्वत 2070–73 खाता सं0 2 में वादीगण का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम बामली सम्वत 2070–73 खाता सं0 159 में प्रतिवादी कम 1 अमित कुमार का नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता सं0 2 वादीगण के खातेदारी मे दर्ज है नकल विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2010 के अनुसार खातेदार राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ द्वारा ख0नं0 25 रकबा 4.39 है0 में से 1.76 है0 भूमि को वादीगण के पक्ष में 7,00,000

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बंधान किया जाना पाया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी गण वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजीवाके ग्राम बामली तहसील बारा के खसरा नं0 633/25 रकबा 1.76 है0 उतरी दिशा के स्थान पर दक्षिणी दिशा नक्शा ट्रेस में वादीगण को एवं प्रतिवादी कम 1 की आराजी खसरा नं0 649/25 रकबा 1.28 है0 दक्षिणी दिशा के स्थान पर उतरी दिशा नक्शा ट्रेस में अंकन करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 72/21	धारा अन्तर्गत 88,89,188,53 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :– 26.5.22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री मदन मोहन नागर एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री घनश्याम गर्ग एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. अनिता बाई पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तहसील व जिला बारां।
2. प्रमिला बाई पत्नी श्री नवल गौतम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तहसील व जिला बारां।
3. माया पत्नी श्री लोकेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तहसील व जिला बारां।
4. राधा बाई पत्नी हरिश प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र श्री तेजमल जाति महाजन निवासी मकान नं 2 घ 3 विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा।
2. राधेश्याम पुत्र श्री जगन्नाथ जाति महाजन निवासी बामली तहसील बारां हाल 56 महावीर नगर द्वितीय कोटा जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन विभाग बारां ।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बामली तहसील बारा के खसरा नं0 633/25 रकबा 1.76 है0 उतरी दिशा के स्थान पर दक्षिणी दिशा नक्शा ट्रेस में वादीगण को एवं प्रतिवादी कम 1 की आराजी खसरा नं0 649/25 रकबा 1.28 है0 दक्षिणी दिशा के स्थान पर उतरी दिशा नक्शा ट्रेस में अंकन करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.05.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बारां
उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	व्ययानुतोष प्रतिवादी
1.	वेद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner